भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/सेफ्टी(डीएम)6/14 नई दिल्ली, दिनांक 14.04.2020

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम एवं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.03.2020, 07.04.2020, 13.04.2020 के समसंख्यक पत्र।

इस कार्यालय के संदर्भाधीन पत्रों के क्रम में कृपया केंद्रीय गृह सचिव के दिनांक 14.04.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I(ए) की संलग्न प्रति देखें, जिसके साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दिनांक 14.04.2020 का आदेश सं. 1-137/2018-मिट-II(एफटीएस-10548) संलग्न है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्रशासित सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि देश में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के समेकित दिशा-निर्देशों में नियत लॉकडाउन उपाय 03.05.2020 तक प्रभावी रहेंगे।

2. गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध और डाउनलोड किए गए अद्यतन "समेकित दिशा-निर्देश" भी इसके साथ संलग्न हैं।

3. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों तथा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डिम्पी गर्ग)
कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(एम)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

COVID-19